अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजास. दीपाली भगोतिया आर.ए.एस सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

1 कन्हैयालाल पुत्र रामनाथ
2 गंगासहाय पुत्र डूंगा
समस्त जाति मीना निवासी ग्राम
मन्दरुपपुरा तह.बस्सी जिला जयपुर।

बनाम

1 भगवान सहाय पुत्र रामदेव
2 रामफूल पुत्र रामदेव
3 जंगदीश पुत्र रामदेव
4 कल्याण पुत्र रामदेव
5 नारायण पुत्र रामदेव
6 प्रभूलाल पुत्र रामनाथ
7 सत्यनारायण पुत्र मूलचन्द
8 प्रहलाद नारायण पुत्र मूलचन्द
9 अशोक कुमार पुत्र मूलचन्द
10 शंकरलाल
11 सरस्वती बेवा मूलचन्द
12 हणुत्या पुत्र डूंगा
13 छोटया पुत्र डूंगा
14 नैनू पुत्र डूंगा
15 बाल्या पुत्र डूंगा
समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम
मन्दरुपपुरा, तहसील बस्सी,
जिला जयपुर।
16 तहसीलदार बस्सी
17 उपपंजीयक बस्सी।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955

प्रार्थना पत्रः 248 / 2016

निर्णय दिनांकः– 02.05.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प लालगढ में पेश हुई। प्रार्थी व अप्रार्थीगण उपस्थित। जिनकी पहचान सरपंच ग्राम पंचायत लालगढ ने की है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि वाद ग्रस्त आराजी ख0न0 1 रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा ,खसरा न. 25 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा, ख0न0 86 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा, ख0न0 103 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 25 बीघा 6 बिस्वा स्थित ग्राम मन्दरुपपुरा,तहसील बस्सी जिला जयपुर के संबंध में अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। पक्षकारान को प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन एवं पक्षकारों को प्रार्थना पत्र पर सुनने एवं उपस्थित मौतबिरान से उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में जानकारी लेने तथा लोक अदालत हेतु गठित बैंच के निर्णयानुसार वाद ग्रस्त आराजी ख0न0 1 रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा , ख0न0 25 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा, ख0न0 86 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा, ख0न0 103 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 25 बीघा 6 बिस्वा स्थित ग्राम मन्दरुपपुरा, तहसील बस्सी जिला जयपुर के सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27.06.2016 को जारी स्थगन आदेश के सम्बन्ध में उभयपक्षों को पाबन्द किया जाता है कि उक्त वादग्रस्त भूमि की वाद के निर्णय तक मौके एवं रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखें। पत्रावली नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ हमफीता हो।
आज दिनांक 02.05.2018 को यह निर्णय न्याय आपके द्वार राजस्व कोर्ट कैम्प लालगढ में मजमें आम में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी